17 568 551

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AA 001233/12

Ramchandra Ram

Attested by Advocate 18-6-12

F. P. Verma 18-06-12

[redacted]

18-6-12

§1§ लेखयकारी:- श्री रामचन्द्र राम पिता स्व0 बुधु तेली, जाति- तेली, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- सलडेगा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

. . . . . . बिक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 816 | 2012

ता. 18-06-12

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs.500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रूपये FIVE HUNDRED RUPEES

§2§ लेख्यधारी:- श्री जयप्रकाश कुमार पिता स्व0 गोवर्धन प्रसाद, जाति- सुंडी, पेशा- नौकरी, निवास ग्राम- कोलेबिरा, थाना- कोलेबिरा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 317 | 2012

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§4§ मूल्य:- मोबलिग तीन लाख रूपये अंके 3,00,000/- रूपये होता है ।

§5§ सम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा- सलडेगा महतोटोली, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 117, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 91 §एकानबे§ प्लॉट नं0 1146 §ग्यारह सौ छेयालिस§ रकबा 2.70 एकड़ में से 0.06 एकड़ §छः डिसमिल§ आवासीय जमीन, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- प्लॉट नं0 1147 टांड़,

दक्षिण:- इसी प्लॉट में छोड़ा गया 13 फीट का कच्चा रास्ता,

पूरब :- इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता,

रामचंद्र राम 18.6.12

ज्ञानशंकर राम
पिता. श्री सुखदेव राम मांझी
ग्राम - सलडेगा
थाना + जिला - सिमडेगा
तिथि - 18/06/2012

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

पश्चिमः- भूषण सिंह का खरीदगी इसी प्लॉट का अंश ।

मालगुजारी 2 पैसा (दो पैसा) अलावे सेस सलाना ।

(1) चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

(2) इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपयुक्त लेख्यधारी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन खरीदगी है । जिसे मेरे पिताजी बुधु तेली ने निबंधित केवाला संख्या 122 दिनांक 29.3.1934 ई0 के द्वारा हासिल किया है । मालगुजारी रसीद मेरे मंझले भाई गंगा तेली वगैरह के नाम से कटता है । मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद जमीन का आपसी

500 Rs.

मौखिक भैयादी बँटवारा हो चुका है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे निज हिस्से की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

§4§ अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§5§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं तेली जाति का हूँ । सरकार के विशेष सचिव, झारखण्ड सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक 591 दिनांक 1.3.12 द्वारा दिये गये सूची में मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत किसी भी श्रेणी में नहीं आता हूँ ।

500 Rs.

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

रामचन्द्र राम
१८-६.१२.

रामचन्द्र राम
१८.६.१२

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी श्री रामचन्द्र राम के बाएँ हाथ की पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।
Basant Kumar
Advocate
18-6-12

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

जयप्रकाश कुमार
18.6.2012

Jayprakash Kumar

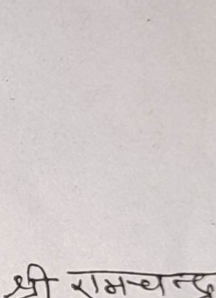

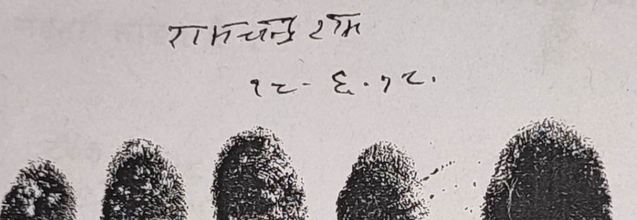

Attested by
Advocate
18-6-12

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारी श्री जयप्रकाश कुमार के बाएँ हाथ की पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।
Basant Kumar
Advocate
18-6-12

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- Basant Kumar Advocate

(प्रारूपकर्त्ता)

तारीखः- 18-6-12

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 572 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक

मो0 मकसुद 18-6-2012

मो0 मकसुद

कचहरी परिसर,

सिमडेगा ।